नीट यू0जी0 2018 द्वितीय काउन्सिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के लिए सूचना/समान्य निर्देश

- आवंटन पत्र डाउनलोड करने के पश्चात् समस्त आवंटित/पुनरावंटित अभ्यर्थी **दिनांक 18.8.2018** तक संबंधित नोडल सेन्टर/राजकीय मेडिकल कालेज पर रिपोर्ट करेंगे।

- प्रथम काउन्सिलिंग के माध्यम प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर नये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक/जाति प्रमाण–पत्र मूलरूप मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति मे उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

- प्रथम काउन्सिलिंग के माध्यम प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें द्वितीय काउन्सिलिंग के माध्यम से पुनरावंटन हुआ है, पूर्व नोडल सेन्टर द्वारा निर्गत अभिलेखो के सत्यापन के उपरान्त दी गयी रसीद तथा शुल्क जमा किये जाने संबंधी रसीद संबंधित नोडल सेन्टर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- द्वितीय काउन्सिलिंग से आवंटित/पुनरावंटित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के उपरांत फीस के अन्तर की धनराशि **(Difference Money)** अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कालेज मे जमा की जायेगी।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो/डेन्टल कालेजो मे प्रथम/द्वितीय काउन्सिलिंग से आवंटन/पुनरावंटन होने के पश्चात् संबंधित नोडल सेन्टर पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् समस्त अभ्यर्थी अपनी योगदान आख्या संबंधित कालेज मे **दिनांक 18.8.2018 तक** प्रस्तुत करेंगे।

- राजकीय मेडिकल कालेजो/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थी आवंटित कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय मे अपनी योगदान आख्या **दिनांक 18.8.2018** तक प्रस्तुत करेंगे।

- ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके मूल अभिलेख संबंधित नोडल सेन्टर पर जमा है, को अवमुक्त कराने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी सीधे प्रवेशित कालेज मे योगदान प्रस्तुत करेंगे।

- अभ्यर्थियो के जमा मूल अभिलेख नोडल सेन्टर के माध्यम से संबंधित कालेज को हस्तगत करा दिये जायेंगे।